न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-27RAAJodhpur2022-15RTA225 Kelaki ors Vs hamirram etc

01. केलकी पत्नी श्री गिरधारीराम
02. गोपाराम पुत्र श्री गिरधारीराम
03. जसाराम पुत्र श्री गिरधारीराम
04. कोंजाराम पुत्र श्री शिवजीराम
05. रामदीन पुत्र श्री शिवजीराम
06. मांगीलाल पुत्र श्री मोटाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- माचरों की ढाणी, खेड़ीसालवा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
07. घेवरराम पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट, निवासी- बुड़किया रोड़ खेड़ीसालवा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हमीराराम पुत्र श्री हिमताराम, जाति जाट, निवासी- माचरों की ढाणी, खेड़ीसालवा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. बीरमाराम पुत्र श्री अचलाराम
3. मोहनराम पुत्र श्री अचलाराम
4. राजेन्द्र पुत्र श्री अचलाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- माचरों की ढाणी, खेड़ीसालवा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 279/2021 हमीरराम बनाम बीरमाराम इत्यादि

उपस्थित-

23.x.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री महेन्द्र कुमार डूडी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 03 व 04
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 23 अक्टूबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 279/2021 हमीरराम बनाम बीरमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 460 व 461 ग्राम खेड़ीसालवा में आवागमन हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 439 व 442 में सें मार्क ए से बी रास्ता चाहा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपना जवाब पेश किया। तत्पश्चात उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील में रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार की ओर से क्रॉस अपील अन्तर्गन्त आदेश 41 नियम 22 सीपीसी पेश

23.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर निवेदन किया कि मामले में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिखाये विकल्प संख्या तीन के अनुसार रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रावधानों को नजर अदांज करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है, क्योंकि प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि चलायमान रास्ते को अवरोधित कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होती है, जिसके लिए क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा सुजाये गये विकल्पों को नहीं मानने में भारी त्रूटि कारित की है। विधि का यह सुस्थापित प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता निकटतम हो। हस्तगत प्रकरण में दिये जाने वाले रास्ते के विकल्पों में विकल्प संख्या एक में दिये जाने वाले रास्ते की दूरी 740 फीट, विकल्प संख्या दो वाले रास्ते की दूरी 1250 फीट व विकल्प संख्या तीन में दिये जाने वाले रास्ते की दूरी 980 फीट बनती है। अधीनस्थ न्यायालय ने विकल्प संख्या दो जो सबसे अधिक दूरी का विकल्प था, को चुनने में भारी त्रूटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से यह भी अंकित कर दिया कि अधिवक्ता अपीलार्थी भी रास्ता दिये जाने में सहमत है, जबकि अपीलार्थीगण का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपनी आदेशिका में यह अंकन किया है कि बहस पक्षकारान् सुनी गई। उक्त दोनो ही विरोधाभाष कथन अधीनस्थ न्यायालय की मानसिकता उजागर कर देते है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

23.x.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। कानूनन सहमति के आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए क्रोस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट संख्या एक से सात तथा रेस्पोडेंट संख्या एक आपस में रिश्तेदार है तथा आपसी मिलावट से अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251-ए का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलार्थी केलकी वगैरह के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 440, 441, 442, 459 व 462 है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक हमीरराम की भूमि खसरा नं. 460 व 461 है जो सभी भूमियॉ एक दूसरे से मिलती हुई स्थित है। खसरा नं. 460 व 461 के पास में खेड़ी चारणान् जाने वाली डामर सड़क स्थित है, जहां से सुविधाजनक एवं लघुतम रास्ता 460 व 461 में आवागमन हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है एवं यही से खसरा नं. 440, 441, 442, 459 व 462 की भूमियों मे आया-जाया जा सकता है,क्योंकि सभी खसरों की भूमियॉ एक-दूसरे से चिपती हुई स्थित है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए के साथ रेस्पोडेंट संख्या एक हमीरराम ने गलत नक्शा बनाकर पेश किया। रेलवे लाईन से कोई कटाणी रास्ता नहीं चलता है एवं न ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। बल्कि उक्त खसरे मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या एक ता तीन के संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ है,

23.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसका अपासी विभाजन वर्ष 2008 में हुआ, तब से एक-दूसरे के खेत में आवागमन हेतु रास्ते छोड़े गये है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपनी मनमर्जी से गलत नक्शा बनाकर पेश किया, जिसमें अप्रार्थीगण संख्या एक ता तीन की भूमि में रेलवे लाईन से रास्ता होना दर्शा दिया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में तीन विकल्प बताये गये है। उनमें विकल्प संख्या एक व दो बिल्कुल ही गैर कानूनी एवं गलत है। विकल्प संख्या तीन न्यायोचित हो सकता है अथवा खेड़ी चारणान् जाने वाली डामर सड़क से सीधे खसरा नं. 460 व 461 की भूमि में पहुंचने हेतु निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः क्रॉस अपील स्वीकार की जावे एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिखाये गये विकल्प संख्या तीन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावे अथवा विकल्प में खेड़ी चारणान् जाने वाली डामर सड़क से सीधे खसरा नं. 460 व 461 की भूमि में पहंचुने हेतु निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 07.12.2021 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेट संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नं. 460 एवं 461 मे आवागमन हेतु रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प खसरा नं. 439 के बीच में सें बताया गया है, जिससे खसरा नं. 439 के दो टुकड़े होने से उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। द्वितीय विकल्प खसरा नं. 442 एवं 439 एवं खसरा नं. 440 की माठ के सहारे-सहारे बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विकल्प पर उभय पक्ष द्वारा सहमति प्रदान किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ

23.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से द्वितीय विकल्प का रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में सहमति से पारित आदेश में अदालत हाजा की राय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार की ओर से प्रस्तुत क्रॉस अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 279/2021 हमीरराम बनाम बीरमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर